शोधन

संख्याः /X-4-17/1(04)/2015

प्रेषक,

आर0 के0 तोमर,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तातरण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 देहरादूनः दिनांकः 02 अगस्त, 2017

विषयः जनपद देहरादून में उत्तराखण्ड राज्य के अंतर्गत 126 किमी0 ऋषिकेश से कर्णप्रयाग नई ब्राड गेज रेल लाईन के निर्माण हेतु 63.422 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु रेल विकास निगम लिमिटेड को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–192/FP/UK/RAIL/14375/2015, दिनांक 17 जुलाई, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद देहरादून में उत्तराखण्ड राज्य के अंतर्गत 126 किमी0 ऋषिकेश से कर्णप्रयाग नई ब्राड गेज रेल लाईन के निर्माण हेतु 63.422 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु रेल विकास निगम लिमिटेड को प्रत्यावर्तन के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या–8बी/यू0सी0पी0/07/196/2015/एफ0सी0/125, दिनांक 27.04.2017 द्वारा प्रदत्त विधिवत स्वीकृति के कम में वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–166/X–4–17/01(04)/ 2015, दिनांक 27.05.2017 में निहित शर्तों को नियमानुसार संशोधित किया जाता हैः–

1. शर्त संख्या–2 को संशोधित करते हुए यह सुनिश्चित किया जाय, कि वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर उक्त प्रत्यावर्तित भूमि 63.422 हे0 वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 128.00 (जाखन–1–104.500 एवं गोलातापर–8–23.500 हे0) आरक्षित वन भूमि में वन संरक्षण अधिनियम के मार्गदर्शी सिद्धान्तों 3.2(I) एवं 4.2 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक उसका रख–रखाव किया जायेगा।
2. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रश्नगत् वन भूमि का जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान बाजार दर से मूल्य निश्चित करवाकर वन भूमि का मूल्य (प्रीमियम) व उसके 10 प्रतिशत धनराशि के बराबर वार्षिक लीज रेंट भुगतान किया जायेगा।
3. शर्त संख्या–3 अंतर्गत म्यूटेशन की गयी उक्त भूमि को संरक्षित वन घोषित किये जाने संबंधी प्राविधान को प्रकरण में क्षतिपूरक वृक्षारोपण, आरक्षित वन भूमि में प्रस्तावित होने के कारण शुन्य समझा जाये।
4. शर्त संख्या–15 में उल्लिखित 'सड़क निर्माण' को 'रेल लाईन निर्माण' समझा जाये।

2– उक्त शासनादेश दिनांक 06.07.2017 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(आर0 के0 तोमर)
संयुक्त सचिव।

संख्याः 369 (1)/ /X–4–17/1(04)/2015, तददिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक(केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड़, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 विधायक (विधानसभा अध्यक्ष), ऋषिकेश, देहरादून/मा विधायक(कृषि मंत्री), नरेन्द्रनगर/मा0 विधायक, कर्णप्रयाग/मा0 विधायक, देवप्रयाग को मा0 विधायक महोदय के संज्ञानार्थ।
3. नगर पालिका अध्यक्ष, ऋषिकेश/जिला पंचायत अध्यक्ष, देवप्रयाग।
4. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून।
7. जिलाधिकारी, देहरादून।
8. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग/नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनिकीरेती।
9. मुख्य परियोजना प्रबंधक, रेल विकास निगम लिमिटेड, ऋषिकेश।
10. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृप इस शासनादेश को एन0आई0सी0 की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
11. गार्ड फाईल।

(आर0 के0 तोमर)

Scanned by CamScanner